**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 58

उत्‍तर देने की तारीख: 24.11.2014

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और वर्दी**

**58. श्री रंजिब बिस्वालः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत, राजधानी दिल्ली के सभी निजी विद्यालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और वर्दी प्रदान करेंगें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अखबारों में प्रकाशित खबरों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कई छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और वर्दी नहीं मिल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) : दिल्‍ली के सभी निजी और गैर-सहायता प्राप्‍त मान्‍यता प्राप्‍त विद्यालयों से, दिल्‍ली शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अन्‍तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ईडब्‍लूएस) और लाभावंचित वर्गों के छात्रों को नि:शुल्‍क पाठ्य-पुस्‍तकें तथा वर्दियां उपलब्‍ध कराना अपेक्षित है।

(ख) से (घ) : राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार द्वारा बताया गया है कि 2014-15 में दिल्‍ली के निजी गैर-सहायता प्राप्‍त मान्‍यता प्राप्‍त स्‍कूलों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ईडब्‍लूएस) और लाभवंचित वर्ग के 68,951 बच्‍चे अध्‍ययन कर रहे हैं तथा इनमें से 17,497 बच्‍चों को नि:शुल्‍क पाठ्य-पुस्‍तकें दी गई हैं और 16467 बच्‍चों को नि:शुल्‍क वर्दियां मिल रही हैं।

(ड़) : राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार ने बताया कि यह मामला माननीय दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय में डब्‍लूपीसी 3684/2013 के अनुसार न्‍यायाधीन है।

\*\*\*\*\*